रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262237
SG-DL-E-02042025-262237

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/चैत्र 12, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 3
No. 106]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/CHAITRA 12, 1947	[N. C. T. D. No. 3

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम)

प्रारंभिक अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2025

फा. सं. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022–23/1112514/21933.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740(ई), दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2014 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सरकार होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नजफगढ़ ड्रेन पर आरडी 14468 मीटर के अपस्ट्रीम पर 4 लेन आरसीसी पुल **के** निर्माण हेतु जिले के **बड़ुसराय** ग्राम, उप–प्रभाग/तहसील कापसहेड़ा, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली में कुल 3 बिस्वा 2 बिसवांसी भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली लोथियन रोड, कश्मीरी गेट द्वारा किया गया तथा अंतिम एस.आई.ए. रिपोर्ट नियम–4 के अनुसार 10.04.2024 को प्रस्तुत की गई। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सारांश इस प्रकार हैः

सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार, अपेक्षित भू–खंड वैध एवं वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य को पूर्ण करता है और यह भूमि का न्यूनतम हिस्सा है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

भूमि अधिग्रहण के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। ऐसे विस्थापन के आवश्यक कारण नीचे दिए गए हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण–पश्चिम जिला, राजस्व विभाग को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक रूप में नियुक्त किया गया है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए **बडुसराय** ग्राम, उप–प्रभाग/तहसील कापसहेडा, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली जिले में मानक माप 3 बिस्वा 2 बिसवांसी भू–खंड अधिग्रहणाधीन है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	सर्वेक्षण सं0	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहणाधीन क्षेत्र (बीघा – बिस्वा – बिस्वांसी में)	इच्छुक व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएँ				पेड़		संरचना	
						उ0	द0	पू0	प0	प्रकार	संख्या	प्रकार	संख्या
1.	31//12/1	निजी	कृषि	3 बिस्वा – 2 बिस्वांसी	प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह, हेमंत कुमार पुत्र जगत सिंह, पवन कुमार पुत्र जगत सिंह, समस्त निवासी, नानक हेरी, नई दिल्ली					लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत उन सभी के लिए बनाई गई है, जिनसे यह संबंधित हो सकती है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना तथा अन्य विवरण का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान जिलाधिकारी, जिला दक्षिण पश्चिम के कार्यालय में कर सकता है।

सरकार एतद्द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण–पश्चिम जिला, दिल्ली और उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने, भूमिगत खुदाई या छेद करने तथा समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कोई भी लेनदेन या भूमि के किसी लेनदेन का कारण अर्थात् बिक्री/खरीद आदि अथवा ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

अधिग्रहण पर आपत्तियां, यदि कोई हों, तो हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ दिन) दिनों के भीतर जिलाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती हैं।

यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो अंतिम अधिसूचना यथासमय दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

लक्ष्य सिंघल, आईएएस भूमि अधिग्रहण जिलाधिकारी

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH-WEST)

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 28th March, 2025

F. No. ADM/LAC/SW/2022-23/1112514/21933.— In the exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21" October, 2014, read with S.O. 2014(E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi being the appropriate Government that a total of 3 Biswa 2 Biswansi land is required in the Badusarai Village, Sub-division/Tehsil Kapashera), South West Delhi, District for public purpose, namely, ***Construction of 4 Lane RCC Bridge at upstream of RD 14468m on Najafgarh Drain for Irrigation and Flood Control Department(I&FC), Govt. of NCT of Delhi.***

Social Impact Assessment(SIA) Study was carried out by School of Human Ecology, Ambedkar University, Delhi Lothian Road, Kashmere Gate and final SIA report was submitted on 10.04.2024 as laid down under rule-4. The summary of the Social Impact Assessment Report/preliminary investigation is as follows:

As per SIA report, the requisition parcel of land serves legitimate and Bonafide and is bare minimum amount of land. There is no families likely to be displaced due to propose acquisition of land.

A total of Nil families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below.

The Additional District Magistrate, South West District, Revenue Department is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore it is notified that for the above said project in Badusarai Village of Kapashera Sub-division/Tehsil South West Delhi District a piece of land measuring, 3 Biswa 2 Biswansi of standard measurement, whose detail description is as following, is under acquisition:

Sl. No.	Survey No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa-Biswasnsi)	Name and address of person interested	Boundaries				Tree		Structure	
						N	S	E	W	Type	No.	Type	No.
1.	31//12/1	Pvt.	Agri.	3 Biswa 2 Biswansi	Pardeep Kumar S/o Jagat Singh, Hemant Kumar S/o Jagat Singh, Pawan Kumar S/o Jagat Singh all R/o Nanak Heri, New Delhi					NA	NIL	NIL	NIL

This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

The plan and other details of land to be acquired can be inspected by interested persons in the office of the Collector, District South West on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorize District Magistrate, South West District, Delhi and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before Collector.

If the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that the Land is needed for Public Purpose, a final notification will be published in the Delhi Gazette in due course.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi,

LAKSHAY SINGHAL, IAS Land Acquisition Collector

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.02 22:43:55 +05'30'